



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं0 20862 वर्ष 2026

परमहंस यादव

आवेदक(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य

विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं0-45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उ0प्र0 राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1), पुलिस थाना-संतनगर, जिला-मिर्जापुर के अधीन मामला अपराध सं0 26 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर छोड़ने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन यह है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा इसे मामले में झूठे मूठे आलिप्त किया गया है। आवेदक की ओर से यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध गिरोह-चार्ट में एक मामला दर्शाया गया है तथा इस मामले में, आवेदक जमानत पर है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त अर्थात् प्रयागराज उर्फ लौधर को पहले ही दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं0 17633 में पारित इस न्यायालय के समन्वय पीठ के आदेश दिनांक 22-05-2026 द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है।
4. इन्होंने आगे कहा है कि विवाद प्र0सू0रि0 में लोक व्यवस्था बाधित करने के संबंध में तथा आवेदक के विरुद्ध इसी प्रकृति के अनुचित ऐहिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में अभिकथन अस्पष्ट है। आगे, कहा गया है कि शब्द "गिरोह" तथा "गैंगेस्टर" की परिभाषा जैसा अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत उपबंधित है द्वारा आच्छादित अभियुक्त की ओर से कार्य या लोप से संबंधित अभिकथन के अभाव में, प्र0सू0रि0 पोषणीय नहीं है। वर्तमान मामले में, प्र0सू0रि0 लंबित दाण्डिक मामला (मामलों) पर आधारित है तथा न कि किसी नये अभिकथन (अभिकथनों) या तथ्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (तथ्यों) के प्रकटीकरण पर आधारित है जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव होता है, जिस प्रयोजन हेतु अधिनियम को अधिनियमित किया गया था।
5. इन्होंने यह भी कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को तंग करने या अभित्रास देने या राजनैतिक या अन्य मोरचा पर दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 6. इन्होंने कहा कि इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने उचित कार्य दिखाने के लिए या सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्चतर अधिकारियों से जयपत्र जीतने या प्रशंसा चाहने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का अवलंब लिया है, जो अन्यायपूर्ण है।
 7. इन्होंने यह भी कहा है कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जहाँ ऊपर कहा गया है, यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि आवेदक गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी नहीं है तथा यह कि वह जमानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा। इन्होंने यह भी निवेदन किया है कि आवेदक जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा न ही जो भी हो किसी प्रकार से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
 8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक 30-04-2026 से इस मामले में कारागार में दुख के दिन काट रहा हूँ तथा इस बात की आशंका नहीं है कि यदि जमानत की सुविधा आवेदक को दी जाती है, वह विधिक्रम से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, इसी तरह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इस उपधारणा को उठाने के लिए काफी पर्याप्त नहीं है कि आवेदक गिरोह चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।
 9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत हेतु हकदार है। जमानत पर छोड़े जाने की दशा में, वह जमानत के स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु अनुरोध का विरोध किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से माना है कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामलों में, आवेदक जमानत पर है। फिर भी, इन्होंने आगे निवेदन किया है कि आवेदक गिरोह का सदस्य है तथा अपराध करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाता है वह पुनः इसी प्रकार के समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त होगा तथा अभियोजन साक्षीगण को धमकी तथा अभित्रास देते हुए जमानत का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. 30प्र0 गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् पठित है :-
- "(4) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, तब तक जमानत पर या इसके अपने बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जायेगा जब तक -
- (क) लोक अभियोजक को इस प्रकार छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा
- (ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय को समाधान होता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह इस प्रकार के अपराध का दोषी नहीं है तथा यह कि इसके जमानत पर रहते हुए किसी अपराध को करने की संभावना नहीं है।"
12. 30प्र0 गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, हमने अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य, अपराध के प्रकृति जिसका उल्लेख गिरोह-चार्ट में किया गया है तथा अभियुक्त-आवेदक के आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।
13. **भारत संघ बनाम के सं0नजीव (2021) 3 एससीसी 713** में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई निर्णय कि संविधान के भाग-III द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता अपने सुरक्षात्मक परिधि में न केवल सम्यक् प्रक्रिया तथा ऋजुता बल्कि न्याय तक पहुँच एवं त्वरित विचारण को आच्छादित करेगा। उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति अभ्यावेदन विचाराधीन कैदीगण बनाम भारत संघ में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन को विचारण के लंबित रहते अनिश्चित काल तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। आदर्शतः, किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रतिकूल परिणाम को तब तक नहीं भुगतना चाहिए जब तक इसे तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष साबित नहीं कर दिया जाता है। फिर भी, वास्तविक जीवन के व्यावहारिकता के कारण जहाँ संभावित अपराधी के विचारण के लंबित रहते छोड़े जाने की दशा में प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना होता है तथा समाज के जोखिम को सुधारना होता है, न्यायालयों को यह विनिश्चय करने का कार्यभार सौंपा जाता है कि क्या व्यक्ति को विचारण के लंबित रहते छोड़ देना चाहिए या नहीं। एक बार यह स्पष्ट है कि यथा समय विचारण संभव नहीं होगा तथा अभियुक्त ने



बहुत अवधि तक कैद की सजा भुगता है, न्यायालय सामान्यतया इन्हें जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य होगा।

14. ऊपर उल्लिखित पक्षकारों के निवेदनों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के विस्तृत आदेश तथा (2018) 3 एससीसी 22 में संप्रकाशित दाताराम सिंह बनाम उ०प्र० राज्य तथा एक अन्य तथा विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं० 5191 वर्ष 2021 को पारित सत्येन्द्र कुमार अंटित बनाम केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो तथा एक अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के कथन को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है।
15. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक परमहंस यादव को निम्न शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय के समाधान पर इतनी ही धनराशि में प्रत्येक स्वीय बंधपत्र तथा दो प्रतिभुओं के देने पर जमानत पर छोड़ा जाय कि :-
 - (i) आवेदक इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होते हैं। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में, विचारण न्यायालय इसे जमानत के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानने तथा विधि के अनुसार आदेशों को पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के जरिए उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना इसके अनुपस्थिति होने की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-क भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अधीन इसके विरुद्ध अग्रसर हो सकता है।
 - (iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा इसके उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के अधीन उद्घोषणा जारी किया जा सकता है तथा यदि आवेदक इस प्रकार के उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, तब विचारण न्यायालय धारा 174-क भा०द०सं०/209 भा०न्याय०सं० के अधीन विधि के अनुसार इसके विरुद्ध कार्यवाहियाँ आरंभ करेगा।
 - (iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ (2) आरोप विरचित किये जाने तथा (3) धारा 313 द०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के अधीन कथन लेखबद्ध करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय के राय में आवेदक की अनुपस्थिति विमर्शित या पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय इस प्रकार के व्यतिक्रम को जमानत के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानने एवं इसके विरुद्ध विधि के अनुसार अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. उपरोक्त किन्हीं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत के रद्दकरण हेतु आधार होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किया गया संप्रेक्षण किसी तरह से साक्षीगण के परिसाक्ष्य पर आधारित अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेगा।

जून 18, 2026

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।